जीवन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने का आसान तरीका

राजस्थान सिविल सेवा (पेंशन) नियम 1996 के अनुसार प्रत्येक पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर को नवम्बर माह में एक जीवन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक है। उक्त नियमों के नियम 134 के अनुसार जीवन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के विभिन्न विकल्प उपलब्ध है। जिनका उपयोग पेंशनर द्वारा अपनी सुविधा के अनुसार किया जा सकता है। वित्त विभाग राजस्थान के आदेश क्रमांक F-12(3)FD/Rules/2024 दिनांक 09.09.2024 के द्वारा सभी राज्य कर्मचारी (चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को छोड़कर) पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का जीवन प्रमाण पत्र SSO Login ID के माध्यम से जारी कर सकते हैं।

PM Info

राजस्थान राज्य कर्मचारियों के द्वारा SSO ID के माध्यम से जीवन प्रमाण पत्र जारी करने की प्रक्रिया

1. SSO ID पर लॉगिन करके जीवन प्रमाण पत्र जारी करना सबसे सरल और आसान है, क्योंकि राजस्थान सरकार के सभी राजपत्रित अधिकारी एवं अराजपत्रित कार्मिकों (च0श्रे0कर्मचारी के अलावा) द्वारा यह जारी किया जा सकता है।
   ठसकी प्रक्रिया निम्नानुसार है :–

   - पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर राजस्थान सरकार के अधिकारी/कार्मिक से जीवन प्रमाण पत्र जारी करने हेतु अनुरोध करें।
   - वह अधिकारी/कार्मिक SSO Portal पर स्वयं की SSO ID एवं Password से निम्नानुसार Login करें।

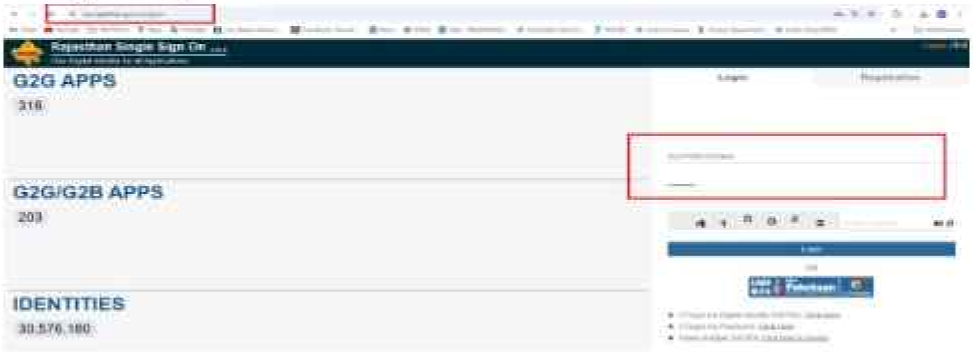

- Login करने पर IFMS 3.0 की स्क्रीन निम्नानुसार दिखाई देगी, इस स्क्रीन पर ESS पर क्लिक करने पर Pensioner Life Certificate का Icon दिखेगा, उक्त Pensioner Life Certificate Icon पर क्लिक करें।

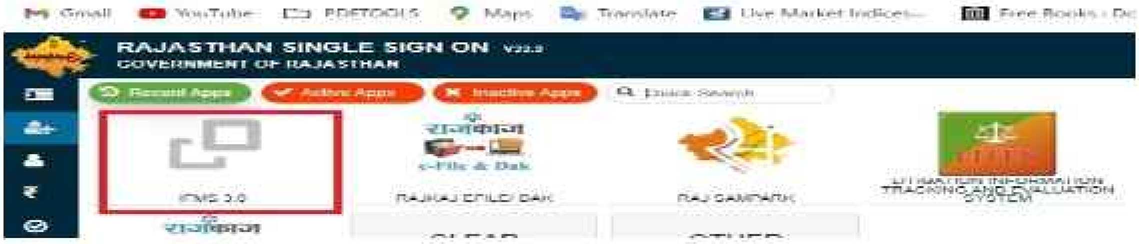

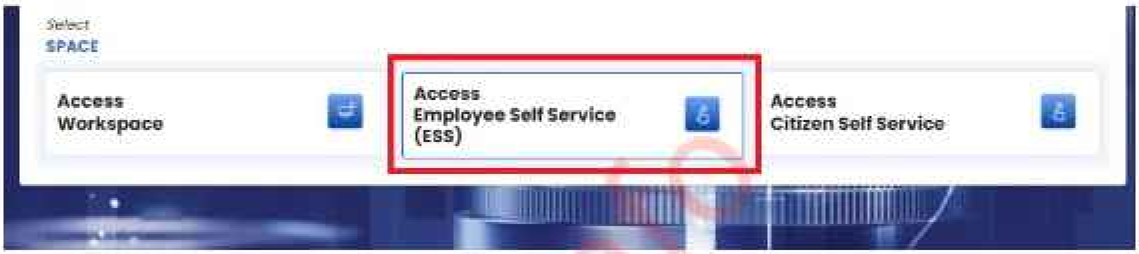

- कार्मिक द्वारा पेंशनर की पीपीओ संख्या एवं बैंक खाते की अंतिम 4 संख्या दर्ज करें। पेंशनर की निम्नानुसार जानकारी प्रदर्शित होगी।

- Generate Life Certificate पर Click करने पर जीवन प्रमाण पत्र प्रदर्शित होगा, जिसमें अंकित विवरण की पेंशनर के पीपीओ से पुष्टि करें।

जीवन प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि मैंने पेंशनर **SH. JAI RAM** [redacted] जो पेंशन भुगतान आदेश संख्या **11569**[redacted] का धारक है एवं जिनका खाता संख्या **53**[redacted] है को देखा है, एवं वह इस दिनांक को जीवित है।

स्थान :- [redacted]

दिनांक:- **21-OCT-2024**

PM Info

- कार्मिक इसे E-sign करें।

- कार्मिक OTP Submit करें।

- जीवन प्रमाण पत्र जारी होकर Update हो जायेगा जिसका Message संबंधित पेंशनर (जिनका जीवन प्रमाण पत्र जारी किया गया है) को प्राप्त हो जायेगा।
- अधिकारी/कर्मचारी जिन्होनें जीवन प्रमाण पत्र जारी किया है उनकी SSO ID पर उक्त प्रमाण पत्र भविष्य में संन्दर्भ हेतु सुरक्षित हो जाएगा।

Pensioner's Life Certificate Generation Steps
Govt. Officials (Gazetted / Non- Gazetted)

SSO ID Login

↓

Click on
IFMS 3.0

↓

Click on
Employee Self Service (ESS)

↓

Click on
Pensioner Life Certificate

↓

Enter PPO No. and Bank Account
Number Last Four Digits

↓

Verify Pensioners Details and
Preview Life Certificate

↓

Approve and E-Sign with
OTP

↓

Now Life Certificate
Submitted on Portal

PM Info

दिलीप कुमार
एडमिन पैनल
PM info